कार्यालय उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

–: कार्यालय – आदेश :–

संस्था –टैगोर शिक्षा संस्थान औसियाँ-------------- द्वारा संचालित -----टैगोर पब्लिक स्कूल औसियाँ---------------के सचिव द्वारा परिशिष्ट 1 में उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर एवं दलीय अधिकारियों की अभिशंषा एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था मान्यता नियम 1993 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधनों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आपके विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता(हिन्दी माध्यम) सत्र 2004–2005 से निम्न अनुबन्धों एवं शर्तो के आधार पर प्रदान की जाती है । नियमों की पालना नहीं किए जाने पर मान्यता तत्काल समाप्त की जा सकेंगी :–

1. विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति की जाए ।
2. विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन, महंगाई भत्ता एवं पी.एफ. की सुविधा नियमानुसार प्रदान की जाए ।
3. विद्यालय को विभाग की बिना अनुमति के अन्यत्र भवन एवं अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किया जायं एवं न ही उसकी कोई अन्य शाखा अन्यत्र खोली जाए ।
4. शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें ही लागु की जाएगी ।
5. विद्यालय का समस्त अभिलेख विद्यालय में रखा जावें तथा विभाग के अधिकारी द्वारा जांच हेतु मांगने पर दिखाया जाए । संस्था का कोई भी पदाधिकारी विद्यालय में वैतनिक सेवा नहीं करेंगा ।
6. विद्यालय को विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों एवं नियमों की अनुपालना करनी होगी अन्यथा विभाग द्वारा दी गई मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी विभाग द्वारा दी गई मान्यता के लिए अनुदान देने के लिए विभाग बाध्य नहीं है ।
7. विद्यालय की वार्षिक योजना तैयार कर उसका अनुमोदन कराया जायं एवं उसे अनुरूप ही शिक्षण कार्य करवाया जायं ।
8. संस्था किसी साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी तथा किसी व्यक्ति विशेष अथवा समुदाय को लाभार्थ नहीं होना चाहिए ।
9. संस्था को विभाग की बिना अनुमति के अन्य दूसरी प्रबन्धकारिणी समिति को स्थानान्तरित नहीं किया जायं ।
10. विभाग की बिना अनुमति के कक्षा नवम् प्रारम्भ नहीं किया जाए ।
11. त्रैमासिक नामांकन सूचना (छात्र / छात्रा / कक्षावार / जातिवार / अध्यापकों) आदि की सूचनाऐं सम्बन्धित नियंत्रण कार्यालय को प्रेषित करनी होगी ।

उप निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर

क्रमांक:शिउप्रां / जोध / लेखा–2 / मान्यता / 04–05 / 204
दिनांक 29/4/2004

प्रतिलिपि:–1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी– प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर
3. ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति – औसियाँ
4. सचिव / व्यवस्थापक टैगोर पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय औसियाँ

उप निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर

विद्यालय - TAGORE PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL ((P36649))

आवेदन क्रमांक : 600055

मान्यता कोड : RJ/JDP/AG/68113455

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय)माध्यमिकJODHPUR , राजस्थान

क्रमांक: 1001

दिनांक 28/02/22

सचिव

प्रबंध समिति

TAGORE PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL (P36649)

विषय - राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उप नियम 8 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

शासन के पत्रांक प.9(13)शिक्षा-5/2021 दिनांक 20.12.2021 द्वारा गैर सरकारी विद्यालय जिनमें विज्ञान संकाय में कृषि विषय संचालित है उन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से कृषि विषय को विज्ञान संकाय के एक विषय के स्थान पर पृथक से कृषि संकाय के रूप में संचालित किए जाने की प्रति विद्यालय निर्धारित राशि 50000 रूपए का डिमांड ड्रॉफ्ट राजकोष में जमा करवाने की शर्त पर प्रदत्त अनुमति के अनुसरण में संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कर कृषि संकाय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदन पत्र क्रमांक 600055 को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ।

अतिरिक्त संकाय मान्यता विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Pr. with Up.Pr. sec. with Higher Sec (1-12)
विज्ञान संकाय में कृषि विज्ञान विषय संचालित का आदेश क्रमांक	2680
विज्ञान संकाय में कृषि विज्ञान विषय संचालित का आदेश दिनांक	02/05/2019
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	नहीं
स्वीकृत संकाय एवं विषय का विवरण	
कृषि संकाय	Agriculture Science (Agriculture Stream), Biology (Agriculture Stream), Chemistry (Agriculture Stream)

1. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाऐं/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
5. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निधारित अवधि में आवेदन करना होगा।
7. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाऐंगे।
8. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाऐं प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाऐं संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
9. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा9 के साथ कक्षा 10/कक्षा11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर

विद्यालय - TAGORE PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL ((P36649))

मान्यता कोड : RJ/JDP/AG/68113455

आवेदन क्रमांक : 600055

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक

RAJPSP